ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 247-248**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

राजनीति में महिलाओं की उन्नत भागीदारी

डॉ0 श्रीमती प्रीति दुबे

प्रभारी प्राचार्य– सांदीपनि महाविद्यालय, उज्जैन (म0प्र0) भारत

Received-08.08.2022, Revised-11.08.2022, Accepted-15.08.2022 E-mail: sayatyanayaranmalviya@gmail.com

सारांश: – हमारे भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को जाति, धर्म एवं लैंगिकता के आधार पर सभी को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और यह पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से हुआ है, जिसमें लोक संस्थाओं को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाया गया है।

लम्बे समय तक महिलाओं को राजनीतिक जीवन से इस आधार पर वंचित रखा क्योंकि सोच यह थी कि राजनीतिक गतिविधियों में पुरुषों के एकाधिकार की व्यवस्था है। पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक लोकतंत्र की दिशा में काफी प्रगति देखी गई है और सार्वजनिकी हो महिलाओं को संतुलित और समान प्रतिनिधित्व मिला है। वर्तमान समाज में राजनीति के क्षेत्र में पंचायतों में महिलाओं की अहम भूमिका है। ग्राम सभा में संसद तक महिलाओं की भागीदारी दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब स्थिति यह है कि पंचायतों में भागीदारी होने के साथ उनकी आत्म निर्भरता भी बढ़ती जा रही है।

कुंजीभूत शब्द– भारतीय संविधान, धर्म एवं लैंगिकता, स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक और आर्थिक रूप, सशक्त, निर्भरता।

महलाओं में जागरूकता का दौर चल पड़ा है और वे छोटे–छोटे स्व–सहायता समूह के माध्यम से अपना स्वरोजगार चला रही हैं और विकास में सहयोग प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार पंचायत के माध्यम से ही महिलाओं को राजनीतिक गति मिल रही है। जब पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तभी वे हर दिशा में आगे प्रयत्नशील हो रही हैं और संसद तक इन्हें आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी– महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पुरुषों के समान भागीदारी हासिल करने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा एवं स्वयं का रास्ता खोजना होगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 73वें संविधान संशोधन को प्रस्तुत करते समय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा था कि ''हमने प्रत्येक स्तर पर कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान रखा है लेकिन उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि महिलाएं हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं, इस आरक्षण को भी पर्याप्त ही कहा जाएगा।

इस हेतु नत्र माहे पतुल्ल के अनुसार ''आरक्षण से महिलाकी व्यवस्था और सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी और वह घर से संसद तक के प्रति जागरूक होगी।''

संविधान में महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रावधान– संविधान में महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में जिन प्रावधानों में आरक्षण प्रदान किया गया जैसे–

अनुच्छेद–243 (य) : पंचायती राज व नगरीय संस्थाओं मे 73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से महिला आरक्षण।

अनुच्छेद–336 : 84वें संशोधन द्वारा लोक सभा में महिला आरक्षण।

अनुच्छेद 332 : 84वें संशोधन द्वारा विधान सभा में महिला आरक्षण महिलाओं को समानता के अधिकार दिलाने हेतु एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशेष अधिनियम की व्यवस्था की गई।

1973 व 1974 में संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप ग्रामीण एवं नगरीय पंचायतों में महिलाओं हेतु 1/3 स्थानों की आरक्षण जिससे स्थानीय प्रशासन में लगभग 14 लाख महिलाओं को जनप्रतिनिधियों के रूप में कई अधिकार प्राप्त हुए। राजनीतिक क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने वर्ष 1991 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश पंचायती सत्र संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत स्थाई आरक्षित कर दिया।

देश के इतिहास में 73वां संविधान संशोधन ऐतिहासिक कदम रहा। इसके बाद जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय में महिलाओं की भागीदारी करीब 10 लाख हुई। इसमें महिलाओं का आरक्षण केवल 33 प्रतिशत लेकिन जीतने के बाद यह करीब 38 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार देश के सभी राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। कुछ–कुछ राज्यों में महिलाओं हेतु विशेष तौर से 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू है। केन्द्र सरकार ने भी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1992 में एक संशोधन द्वारा महिलाओं हेतु यह 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

वर्ष 1984 में महिला आरक्षण लागू होने के उपरांत केवल मध्यप्रदेश में 150500 महिलाएं जिले व खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर चुनी गई। झारखंड में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के उपरांत दिसंबर 2010 में हुए पंचायती चुनाव में जिला परिषद में 80 प्रतिशत से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है, और पंचायती स्तर पर यह भागीदारी 55 प्रतिशत के लगभग रही। विश्व स्तर पर महिलाओं के 30 प्रतिशत संसदीय भागीदारी की अवधारणा 1995 में संयुक्त राज्य की बीजिंग में हुई चौथी विश्व महिला कॉन्फ्रेंस में आए, इसमें कहा गया प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कम से कम 35 प्रतिशत महिला की भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के आधार को हम उपर्युक्त तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें वर्ष 2000 में पूरे भारत में महिला सरपंचों की संख्या 772677 थी जो बढ़कर 2004 में 838245 हो गई जिसमें कुल महिला सरपंचों की संख्या वृद्धि 65568 हो गई। इसी प्रकार पंचायत समिति में वर्ष 2000 में महिलाओं की कुल संख्या 38412 थी जो बढ़कर 2004 में 47455 हो गई जिसमें 9043 महिला सरपंचों की वृद्धि हुई एवं जिला पंचायत में वर्ष 2000 में 4088 महिलाएं थीं जो वर्ष 2004 में 4923 महिलाएं हो गई। इस प्रकार जिला पंचायत में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि 835 तक पहुंच गई।

समस्याएं– संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ी है, परन्तु बहुत सी समस्याएं भी बढ़ी हैं। उसका मुख्य कारण आरक्षण है। पंचायत में शिक्षित प्रतिनिधि हैं। वे अपनी जिम्मेदारी बड़ी सरलता से निभा रही हैं, परन्तु जहां शिक्षा का अभाव है या पंचायत प्रतिनिधि अशिक्षित है, वहां महिला सरपंचों की भागीदारी प्रभावित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अभी पर्दा प्रथा, रूढ़िवादिता, नौकरशाही आदि समस्याओं में उलझी हुई हैं। इसी कारण पंचायतों की बैठकों में नहीं जा पाती हैं।

इसके अलावा महिला प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वाह करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे परिजनों का असहयोगी व्यवहार, किसी समुदाय और अपने काम के प्रति उपेक्षा आदि। इनमें से कई अपने पति के कहे अनुसार कम करती हैं और यह एक प्रकार से छलावा है, जिसमें महिला प्रतिनिधि के नाम पर उसके परिवार के सदस्य या उसका पति उसकी जगह सारे कार्य को सम्पादित करते हैं जिसके कारण वह उचित निर्णय नहीं ले पाती एवं अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाहन नहीं कर पाती हैं।

सुझाव– राजनीति में महिलाओं की उन्नत भागीदारी हेतु निम्न सुझाव हैं –

1. जिन पंचायतों में महिला प्रतिनिधि अशिक्षित हैं, वहां की महिलाओं को प्रशिक्षण की आवश्यक व्यवस्था की जाना चाहिए जिससे समानता की स्थिति में सहयोग मिल सके।
2. गांवों में स्तंत्र जाग्रत चेतना जैसे विकास आवश्यक हैं, जिससे सहज ही रास्ता प्रशस्त होगा। सभी को अपनी भागीदारी निभानी होगी। उसके लिए वृद्धि एवं कौशल की आवश्यकता है।
3. ग्राम पंचायत को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए हर एक मतदाता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पंचायतों में कई सम्भावनाएं होती हैं जिसके माध्यम से समाज के सम्पूर्ण ढांचे को बदला जा सकता है।
4. सच्चे लोकतंत्र के लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना होगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय व्यवस्था आरम्भ करना चाहिए।

निष्कर्ष– निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में सभी को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है जिसके आधार पर 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया जिसके कारण राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सामने आई एवं यह भागीदारी बढ़ रही है। यह भागीदारी पूरे भारत में वर्ष 2000 में 772677 थी जो वर्ष 2004 में बढ़कर 838245 हो गई। उसी प्रकार पंचायत समिति में यह भागीदारी वर्ष 2000 में 38412 थी जो वर्ष 2004 में 47455 हो गई एवं जिला पंचायत में महिला भागीदारी वर्ष 2000 में 4089 थी जो 2004 में बढ़कर 4923 तक पहुंच गई।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. योजना अगस्त 2013 (53: योजना भवन, संसद नई दिल्ली, पृ.सं. 59,60,66)
2. कुरुक्षेत्र अगस्त 2013 (ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली, पृ.सं. 23,24,27)
3. कुरुक्षेत्र जनवरी 2014 (ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली, पृ.सं. 18–21)

*****